में) स्थापित डा० भीमराव अम्बेदकर की प्रतिमा रेलवे विभाग द्वारा पुलिस की सहायता से हटाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) देश में रेलवे के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रेलवे यार्डों अथवा अन्य रेलवे कालोनियों में कितनी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और कितने पूजास्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा) बने हुए हैं ; और

(घ) क्या उन्हें हटाने के लिए कोई कार्यवाही की जाएगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 24-4-81 को अनुमति प्राप्त किए बिना या सम्बन्धित भूमि के लिए लाइसेंस लिए बिना स्वर्गीय डा० भीमराव अम्बेदकर की एक प्रतिमा संस्थापित की गयी। एक रेल कर्मचारी, जो अपने आप को तथा-कथित अखिल भारतीय अनु० जा० / अनु० जन जाति एसोसिएशन का अध्यक्ष बताता है, ने इस प्रतिमा के साथ-साथ एक छोटा सा अस्थाई ढांचा भी खड़ा कर लिया। कब्जा की गयी भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 2 एकड़ है। चूंकि उपरोक्त भूमि पर कब्जा अनधिकृत रूप से किया गया है और उक्त भूमि के प्लाट की इसके समीप स्थित रेलवे के बिजली सब-स्टेशन और मण्डल कारखाने के विकास और विस्तार के लिए आवश्यकता है, इसलिए प्रतिमा को किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का विचार है।

(ग) और (घ) देश के रेल परि-सरों में स्थापित की गयी प्रतिमाओं और निर्मित पूजा गृहों की संख्या क्रमश: 14 और 2703 है ।

रेलवे भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने से सभी मामलों में सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बे-दखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत बेदखली के लिए कार्रवाई की जाती है जिसमें वे मामले भी शामिल हैं जहां प्रतिमाओं और पूजा गृहों की स्थापना के लिए भूमि पर कब्जा किया जाता है ।

बालामाउ और सीतापुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में भारी भीड़भाड़

3990. श्री राम लाल राही : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संसद सदस्य ने वाई एस एस बी उत्तर रेलवे शाखा लाइन में बालामाउ और सीतापुर के बीच चलने वाली रेलाड़ियों में भारी भीड़-भाड़ और रेलवे कार्मिकों को होने वाली असुविधा के बारे में 2 दिसम्बर, 1982 को मंत्री को पत्र लिखा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उत्तर रेलवे के बालामाउ सीतापुर खंड पर कोचिंग स्टाक की कमी के कारण दो जोड़ी पैसेन्जर गाड़ियों में कुछ भीड़-भाड़ रहती है। इस समय संसाधनों की कमी के कारण मांग की पूरी तरह पूर्ति करना सम्भव नहीं है ।

आरा-सहसराम लाइन को बदला जाना

3991. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आरा-सहसराम लाइन रेलवे लाइन को आज

गेज में बदलने के लिए सर्वेक्षण का कार्य इस बीच पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ब्राड गेज लाइन का निर्माण सरकार द्वारा कब तक आरम्भ किए जाने के प्रस्ताव हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, लेकिन परियोजना रिपोर्ट को पूर्व रेलवे अन्तिम रूप दे रही है ।

(ख) इस मंत्रालय में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् इस बारे में जांच की जायेगी ।

मानसिक रोग अस्पताल, शाहदरा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

3992. श्री राम विलास पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानसिक रोग अस्पताल, शाहदरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में सरकार को एक संसद सदस्य का 23 अगस्त, 1982 को पत्र मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो दोषी पाए गए व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) हां ।

(ख) इस मामले को दिल्ली प्रशासन के साथ उठाया गया है जो शिकायतों की जांच कर रहा है तथा इस प्रयोजन के लिए उसने कथित अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए संस्थानों के खातों की लेखा-परीक्षा करने के लिए एक विशेष लेखा-परीक्षा दल नियुक्त किया है ।

Criteria for refund of Excess Fare Charges

3993. SHRI JAI NARAYAN ROAT: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the criteria to charge excess fare from the passengers and its refund to the passengers in case passengers were wrongly charged by the railway;

(b) whether it is a fact that excess fare tickets are to be delivered at the counter of destination of journey; and

(c) if so, the reasons why the passengers are asked by railways to return the original excess fare tickets issued by railways in case of passengers' claim for refund has been accepted by railways?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c). Excess fare tickets are issued to passengers found travelling without tickets or with improper tickets. In emergent cases, Excess Fare Tickets are also issued in lieu of printed card tickets or Blank Paper Tickets. Rules require that the passenger concerned has to deposit the Excess Fare Ticket at the destination station on completion of the journey. For claiming refund, the party has to send along with the application either the original Excess Fare Ticket or a Certificate to the effect that the same has been deposited with the ticket collector at the destination station. The procedure is meant for verification purpose.

Senior Physical Teacher

3994. SHRI HIRALAL R. PARMAR: Will the Minister of EDUCATION AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether some candidates were interviewed and selected for appointment in the capacity of Senior Physical Teacher by the Selection Board,